

अपशषिट प्रबंधन पहल

प्रलिस के लयि:

[वसितारति उत्पादक उत्तरदायतिव](#), प्लास्टिक पैकेजि, [ई-अपशषिट](#), बैटरी अपशषिट, जैव-चकितिसा अपशषिट, [स्वच्छ भारत मशिन](#), जैव-उपचार, अपशषिट प्रबंधन नयिम

मेन्स के लयि:

अपशषिट प्रबंधन पहल और नयिम, सरकारी नीतियीं और हस्तक्षेप

[स्रोत: पी.आई.बी](#)

चर्चा में क्यीं?

राज्यसभा में हाल ही में पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने देश में [अपशषिट प्रबंधन](#) से नपिटने के लयि उठाए गए महत्त्वपूर्ण कदमों पर प्रकाश डाला ।

अपशषिट प्रबंधन से संबंधति प्रमुख पहल क्यीं हैं?

■ वसितारति उत्पादक उत्तरदायतिव (EPR) तंत्र:

- EPR अपशषिट प्रबंधन में एक नीतगित दृष्टिकोण है जो [उत्पादकों को उनके संग्रह, पुनर्चकरण और नपिटान सहति उनके](#) उत्पादों के पूरे जीवनचक्र के लयि ज़म्मेदार बनाता है ।
 - इसका उद्देश्य [अपशषिट प्रबंधन के वतितीय और भौतिक बोझ](#) को सरकारों तथा करदाताओं से उत्पादकों पर स्थानांतरति करके उत्पादों के पर्यावरणीय प्रभाव को कम करना है ।
- वर्ष 2022 में [प्लास्टिक पैकेजि, ई-अपशषिट](#), बैटरी अपशषिट और [परयुक्त तेल](#) के लयि बाज़ार तंत्र का उपयोग करते हुए EPR पहल लागू की गई थी । इस रणनीतिक कदम से अपशषिट प्रबंधन क्षेत्र में विकास को प्रोत्साहन मलिन की उम्मीद है ।

■ अपशषिट प्रसंस्करण क्षमता:

- शहरी क्षेत्रों में [प्रतिदिनि उत्पन्न होने वाले लगभग 1.5 लाख मीटरकि टन \(MT/D\) कचरे में से लगभग 76% संसाधति कयि](#) जाता है ।
- वर्ष 2014 के बाद से ठोस अपशषिट, खतरनाक अपशषिट, जैव-चकितिसा अपशषिट, ई-अपशषिट, प्लास्टिक अपशषिट और नरिमाण तथा वधिवंस अपशषिट सहति वभिनिन प्रकार के अपशषिट के प्रसंस्करण की क्षमता में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है ।
- पछिले आठ वर्षों में, वशेष रूप से [स्वच्छ भारत मशिन \(शहरी\)](#) के तहत, ठोस अपशषिट प्रसंस्करण क्षमता में लगभग 1.05 लाख मीटरकि MT/D की वृद्धि देखी गई है ।

■ ठोस अपशषिट प्रबंधन हेतु [स्वच्छ भारत मशिन](#):

- योजना के दशानरिदेशों के अनुसार, शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में प्लास्टिक अपशषिट प्रबंधन सहति [ठोस अपशषिट प्रबंधन के लयि स्वच्छ भारत मशिन](#) के तहत केंद्रीय सहायता प्रदान की जाती है ।
 - केंद्र सरकार ने "[कचरा मुक्त शहर](#)" बनाने के समग्र दृष्टिकोण के साथ वर्ष 2021 में [स्वच्छ भारत मशिन शहरी 2.0 \(SBM-U 2.0\)](#) लॉन्च कयि, जसिमें यह लक्ष्य हासल करना शामिल होगा कि सभी शहरी स्थानीय नकिय कम से कम [3-सटार प्रमाणति](#) हो जायेंगे (जैसा कि [कचरा मुक्त शहरों के लयि प्रति सटार रेटगि प्रोटोकॉल](#)) जसिमें घर-घर जाकर संग्रहण, स्रोत पृथक्करण और नगरपालिका ठोस अपशषिट का वैज्ञानिक प्रसंस्करण शामिल है ।
 - यह मशिन स्रोत पृथक्करण, एकल-उपयोग प्लास्टिक का नपिटारा करने, नरिमाण-और-वधिवंस गतिविधियीं से अपशषिट का प्रबंधन एवं परंपरागत अपशषिट डंप साइटों के जैव-उपचार पर केंद्रति है ।
- [स्वच्छ भारत मशिन - ग्रामीण चरण II](#) के तहत, पेयजल और स्वच्छता वभिग ने राज्यों एवं केंद्र शासति प्रदेशों को परचालन दशानरिदेश जारी कयि हैं जनिमें [ग्रामीण स्तर पर ठोस अपशषिट प्रबंधन गतिविधियीं](#) शामिल हैं ।

■ अपशषिट प्रबंधन नयिम और दशानरिदेश:

- [पर्यावरण \(संरक्षण\) अधिनयिम, 1986](#) के तहत [मंत्रालय](#) ने पर्यावरण की दृष्टि से सुदृढ़ प्रथाओं को सुनिश्चति करने के लयि वभिनिन

अपशषिट प्रबंघन नयिमों और दशानरिदेशों को लागू कयिा है। इसमे शामिल है:

- टोस अपशषिट प्रबंघन नयिम, 2016 ।
- प्लासटक अपशषिट प्रबंघन नयिम, 2016 ।
- जैव चकितिसा अपशषिट प्रबंघन नयिम, 2016 ।
- नरिमाण एवं वधिवंस अपशषिट प्रबंघन नयिम, 2016 ।
- हानकारक व अन्य अपशषिट (प्रबंघन और सीमापारीय संचलन) नयिम, 2016 ।
- ई-अपशषिट प्रबंघन नयिम, 2022 ।
- बैटरी अपशषिट प्रबंघन नयिम, 2022 ।
- पर्यावरण के अनुकूल अपशषिट प्रबंघन पर भी दशानरिदेश जारी कयिा गए हैं।
 - हानकारक अपशषिट, ई-अपशषिट तथा प्लासटक के उत्पाद शुल्क भुगतान सदिधांत के आधार पर पर्यावरणीय कषत/पर्यावरण कषतपूरति शुल्क लगाने के लयि दशानरिदेश जारी कयिा गए हैं ।

नोट:

- 'प्रदूषक भुगतान' सदिधांत आम तौर पर स्वीकृत प्रथा है जसिके तहत जो लोग प्रदूषण फैलाते हैं उन्हें मानव स्वास्थय अथवा पर्यावरण को होने वाले नुकसान को रोकने के लयि इसके प्रबंघन की लागत वहन करनी चाहयि ।

UPSC सविलि सेवा परीक्षा, वगित वर्ष के प्रश्न

?????????:

प्रश्न. भारत में टोस अपशषिट प्रबंघन नयिम, 2016 के अनुसार, नमिनलखिति में से कौन-सा कथन सही है? (2019)

- (a) अपशषिट उत्पादक को पाँच कोटयिों में अपशषिट अलग-अलग करने होंगे ।
- (b) ये नयिम केवल अधसूचति नगरीय स्थानीय नकियों, अधसूचति नगरों तथा सभी औद्योगकि नगरों पर ही लागू होंगे ।
- (c) इस नयिम में अपशषिट भराव स्थलों तथा अपशषिट प्रसंसकरण सुवधिओं के लयि सटीक और ब्यौरेवार मानदंड उपबंधति हैं ।
- (d) अपशषिट उत्पादक के लयि यह आज्ञापक होगा ककिसी एक ज़ल्लि में उत्पादति अपशषिट, कसिी अन्य ज़ल्लि में न ले जाया जाए ।

उत्तर: (c)